न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 55/2015

प्रार्थीगण :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. मांगु पुत्र छोगाराम		1. तहसीलदार,जैतारण(भूमिधारक) तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. तुल्छा पुत्र छोगाराम जातियान-गुर्जर निवासीगण-निम्बेटी(पाटण) तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		2. पटवारी, पटवार हल्का-रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 13/05/2015

उपस्थितः. 1 श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

-:: निर्णयः- दिनॉकः 03/07/2015

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना-पत्र बावत् अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा-रास, पटवार क्षैत्र-रास (द्वितीय), तहसील-जैतारण में स्थित खाता संख्या 43 खसरा नम्बर 3131 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 3133 रकबा 55-05 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 3141 रकबा 0-09 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 3142 रकबा 6-06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 3143 रकबा 13-04 बीघा किस्म चाही दोयम, कुल किता-5 कुल रकबा 75-05 बीघा की आई हुई हैं। उक्त आराजी की कृषि भूमि जमावंदी सम्वत 2028 से 2031, संवत् 2032से 2035, संवत् 2037 से 2039, संवत् 2065 से 2068 व संवत 2069 से 2072 तक की प्रमाणित प्रति एंव नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं, जो वादपत्र का एक भाग माना जावें। उक्त वर्णित आराजी की कृषि भूमि पर हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त है और बिना किसी रोकोटोक के शांतिपूर्वक इसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त आराजी की कृषि भूमि में वक्त सैटलमेन्ट के समय प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम के आगे जाति-गुर्जर अंकित हैं, जो लगातार जमाबन्दी संवत 2026 से 2031 तक के चौसाले की जमाबन्दी में गुर्जर दर्ज हैं। परन्तु राजस्व अधिकारी अप्रार्थीगण द्वारा सालान जमाबन्दी को चौशाला में इन्द्राज करते वक्त भूलवश 2032 से 2035 के चौशाले में प्रार्थीगण के पिता के नाम खातेदारी में छोगा वल्द उदा व बाला वल्द उदा दर्ज है और अन्य खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज हैं, जिसके आगे कौम-भांबी दर्ज कर दिया, जो गलत दर्ज किया प्रार्थीगण छोगा के वारिसान हैं। सालान जमाबन्दी का चौशाला जमाबन्दी का मिलान करते वक्त ध्यान नही दिया और कौम-गुर्जर हैं, जिसे जरिये दुरूस्ती के दुरूस्त किया जाना कानूनी रूप से लाजमी हैं, जो स्लीप ऑफ पैन की तारीफ में आता है तथा रोंग एन्ट्री हैं, जो हल्का पटवारी की गलती से गलत कौम दर्ज कर दी, जिसे दुरूस्त करने का आदेश फरमावे सबूत के तौर पर फोटो स्टेट प्रति राशन कार्ड, परिचय पत्र एवं आधार कार्ड प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न हैं, जो वादपत्र का एक भाग माना जावें। प्रार्थीगण के नाम से अन्य दस्तावेज व अन्य जगह

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कृषि भूमि स्थित है। उसकी जमाबंदी में भी कौम-गुर्जर अंकित है, जिसकी नकल प्रतियाँ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि की के.सी.सी बनाने हेतु हल्का पटवारी के पास गया और जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर इसकी जानकारी हुई। इसलिए वादीगण की खातेदारी में नाम के आगे कौम-भाम्बी की जगह कौम-गुर्जर दुरूस्त करवाने हेतु रिकार्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र श्रीमान जी की सेवा में पेश किया है। उक्त वर्णित आराजी की कृषि भूमि में खातेदारी में सहखातेदारन् लादू, रेवता पिसरान जवान, उदा पुत्र रूपा, अंवरीया पुत्र गणेश की कौम-भाम्बी है। जबकि संवत 2028 से 2031 के चौशाले में प्रार्थीगण के दादा उदा पुत्र सादूल कौम-गुर्जर अंकित हैं। बाद में संवत 2032 से 2035 तक के चौशाले से लेकर संवत 2066 से 2072 तक के चौशाले में लगातार रोंग एन्ट्री चली आ रही हैं, जिसे कौम-भाम्बी की जगह कौम-गुर्जर दुरूस्त किया जाकर खातदेारी में प्रार्थीगण की कौम के आगे गुजर दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें। प्रतिवादी संख्या एक तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर हैं, जो इसमें भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार हैं। इसलिये प्रतिवादी संख्या एक को पक्षकार बनाया गया है एवं प्रतिवादी संख्या दो हल्का पटवारी रास-द्वितीय की गलती से रोंग एन्ट्री चली आ रही हैं, जिसे दुरूस्त करने का प्रतिवादीगण को कानूनी रूप से अधिकार हैं। इसलिए इसको पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण के नाम के आगे कौम-भाम्वी की जगह कौम-गुर्जर नहीं किया गया, तो प्रार्थीगण अपने कानूनी जायज हक हकूकों एवं अधिकारों से वंचित रह जायेंगे एवं कृषि आराजी से उपयोग एवं उपभोग एवं सरकारी एवं अर्द्धसरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जायेंगे, जिससे प्रार्थीगण को आर्थिक हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नही होगी। इसलिये प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी सावित है। इसलिये आज ही नोटिस डिस्पेन्सविद किये जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थीगण को बिनायवाद दिनांक 29/04/2015 को हल्का पटवारी रास-द्वितीय से जमावन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा नकल प्राप्त करने पर ग्राम-रास-द्वितिय में बिनाय दावा उत्पन्न हुआ, जो अन्दर म्याद श्रीमान जी के क्षैत्राधिकार में होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त आराजी की कृषि भूमि का श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा.पत्र तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में पेश हुई। अप्रार्थी ने जबाब पेश किया कि जमाबन्दी बनाते वक्त प्रार्थीगण के नाम के आगे जाति-भाम्बी गलत इन्द्राज कर दिया था। अब संशोधन करना चाहते हैं। प्रार्थीगण का नाम जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 के अनुसार जाति-गुर्जर का अंकन कर शुद्ध किया जाना उचित हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं जबाब प्रार्थना पत्र का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थीगण पर भी गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम के आगे जाति-भाम्बी त्रुटिपूर्ण होने से वास्तविक जाति-गुर्जर दुरूस्त करने का उक्त दस्तावेजात साक्ष्य पेश किये हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए शुद्धि-पत्र दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व आधिनियम,1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा–रास, पटवार क्षैत्र–रास (द्वितीय), तहसील–जैतारण में स्थित खाता संख्या 43 खसरा नम्बर 3131 रकबा 0–01 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 3133 रकबा 55–05 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 3141 रकबा 0–09 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 3142 रकबा 6–06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 3143 रकबा 13–04 बीघा किस्म चाही दोयम, कुल किता–5 कुल रकबा 75–05 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जाति–भाम्वी गलत दर्ज हैं। जिसे वास्तविक कौम–गुर्जर होने से जरिए शुद्धि पत्र दुरुस्त किया जावें। तहसीलदार जैतारण को निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 03.07.2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner